

Date

22/04/2020

Subject - New Efforts in Elementary Edu. (D.El.Ed. II sem)

Topic - Kothari Commission

7. स्कूली शिक्षा का विस्तार :- पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए निजी क्षेत्र के आधिपत्य से पूर्व प्राथमिक शिक्षा विकास केन्द्र खोले जायें। जिनमें महिला अध्यापिका की कीयता दी जाए एवं 5 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का लाभ मिल सके। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य हो व इस स्तर पर अपव्यय एवं अकरोधन को कम किया जाए एवं माध्यमिक स्तर पर भी निम्न मा० कक्षाओं में स्वचयन विधि तथा उच्च मा० स्तर पर बाह्य परीक्षा विधि से प्रवेश दिया जायें।
8. स्कूल पाठ्यक्रम :- पाठ्यक्रम में सुधार के लिए आयोग ने कहा कि वि०षि०, शिक्षा विभाग, प्रशिक्षण संस्थाओं व राज्य शिक्षा परिषदों को पाठ्यक्रम निर्माण के लिए शोधकार्य करना चाहिए। लिभाषा सूत्र को संशोधित करते हुए आयोग ने कक्षा 1 से 4 तक मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, कक्षा 5 से 7 तक दो भाषाएँ तथा कक्षा 8 से 10 तक तीन भाषाएँ अनिवार्य होनी चाहिए, पाठ्यक्रम में कार्यानुभव व सभाजसेवा को स्थान देकर छात्रों का नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा का मार्ग भी प्रशस्त करना चाहिए।
9. स्कूल शिक्षा पद्धति :- आयोग की दृष्टि से शिक्षा पद्धति, निर्देशन व मूल्यांकन का शिक्षा के नवनिर्माण में अत्यधिक महत्त्व है। आयोग ने इस सम्बन्ध में उत्कृष्ट पाठ्यपुस्तकों व अध्यापन सामग्री की व्यवस्था एवं निर्देशन एवं विचार-विमर्श की शिक्षा के अंगों में शामिल किया।

10. स्कूल निरीक्षण में आयोग ने शैक्षिक सुधार के लिए महानुद्घातिपूर्ण तथा क्रियाशील प्रशासनिक उच्च निरीक्षण प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। निरीक्षण को उपयोगी बनाने के लिए राज्य शिक्षा विभाग का पुनर्गठन, शिक्षा अधिकारियों को अंशकालीन प्रशिक्षण दिया जाये, तथा प्रत्येक राज्य में स्कूल शिक्षा परिषदों की स्थापना की जाये।

11. उच्च शिक्षा के उद्देश्य में आयोग ने उच्च शिक्षा के संबंध में ज्ञान की खोज करना, व व्यक्तियों में निपुण नागरिकों को तैयार करना है। आयोग ने बृहद विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ विषयों के समकक्ष हो। अध्यापन व बृहदांकल में सुधार, प्रादेशिक भाषा, उच्च शिक्षा का माध्यम व द्वात्र अनुशासन को प्राथमिकता दी जाये।

12. उच्च शिक्षा में प्रवेश व कार्यक्रम में आयोग ने चयनित प्रवेश नीति का सुझाव दिया। उपयुक्त प्रवेश विधि को विकसित करने के लिए U.G.C. द्वारा केन्द्रीय परीक्षण की स्थापना का प्रस्तावकित आयोग ने अंशकालीन शिक्षा, नारी शिक्षा का प्रसार, पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन, शैक्षिक अनुसंधानों की आवश्यकता पर बल दिया।

13. विश्वविद्यालयों की व्यवस्था :- आयोग ने विश्वविद्यालयों को पूर्ण स्वायत्ता प्रदान करने, आर्थिक सुविधाओं उपलब्ध करने तथा सर्वोच्च स्थापना द्वारा विश्वविद्यालय स्वायत्ता बनाने एवं उच्च शिक्षा के अर्थात् विकास के लिए नीति निर्धारण करने संबंधी सिफारिश की।

14. कृषि शिक्षा :- राज्य में कम से कम 200 कृषि विद्यालय खोला जाये, कृषि पॉलिटेक्निकों की स्थापना की वशीयता, कृषि शिक्षा को सामान्य शिक्षा का अंग बनाया जाये, कृषि अनुसंधान का दायित्व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को सौंपा जाये।

15. व्यावसायिक, तकनीकी तथा इंजीनियरिंग शिक्षा :- आयोग ने व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की रीजगार - उनमुख बनाने तकनीकी पाठ्यक्रमों में सुधार करने, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रत्यक्ष तथा प्रायोगिक कार्य को अधिक महत्त्व देने का सुझाव दिया।

16. विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान :- आयोग ने विज्ञान की राष्ट्रीय नीति बनाने, तथा विज्ञान के क्षेत्र में सफल नेतृत्व के लिए विज्ञान अकादमी के पुनर्गठन की सिफारिश की।

17. प्रौढ़ शिक्षा :- आयोग ने निरक्षरता दूर करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, पताचार शिक्षा के आयोजन का सुझाव दिया। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् की स्थापना करके प्रौढ़ शिक्षा का संगठन व प्रशासन करने का सुझाव दिया।

18. शैक्षिक योजना तथा प्रशासन :- आयोग ने राज्य व स्थानीय स्तर के शैक्षिक प्रशासन में सुधार करने का सुझाव दिया।